

प्रेषक,

मेहर जहाँ
अपर सिविल जज (जू, डि.)-1
गोरखपुर
[तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट
औरैया]

सेवा में,

आदरणीय महा निबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद

द्वारा,

आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
गोरखपुर।

विषय: तत्कालीन आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया द्वारा प्रार्थी के वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2022-23 में किए गए प्रतिकूल प्रविष्टि के विलोपित (expunction) करने हेतु प्रत्यावेदन:-

आदरणीय महोदय,

अत्यंत विनम्रता पूर्वक प्रार्थी उपरोक्त विषय में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निम्न निवेदन की अनुमति चाहती है-

1. यह कि तत्कालीन आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया, श्री अनिल कुमार वर्मा, द्वारा प्रार्थी के ऑनलाइन पोर्टल e-Services JO पर दिनांक 05/08/2023 को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ वर्ष 2022-23 में प्रतिकूल प्रविष्टियाँ अंकित की गई है। प्रार्थी अपना प्रत्यावेदन उक्त प्रतिकूल प्रविष्टियों के दिए जाने के 30 दिन के अंदर समर्पित कर रही है।
2. यह की प्रार्थी ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में दिनांक 18/11/2019 को कार्यभार ग्रहण किया था। प्रार्थी नवीन न्यायिक अधिकारी है।
3. यह कि उक्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (संलग्न 1) में निम्न कॉलमों में प्रविष्टियाँ प्रतिकूल / आलोचनात्मक प्रतीत होती हैं-

01(f)(iii) .Application of law.

Annexure I-A- 'She has no applied judicial mind, stance crime no. 29/2022 u/s 377,506 IPC, PS Ajitmal, District Auraiya case trailed by Magistrate judicial officer commit to session D.O.7 of 2022 dated 27.06.2022.'

01(h). Control over the office and administrative capacity and tact.-

Annexure-I-B; 'The officer does not have control over the office. In this regard, vide D.O.No. 20 of 2023 date 17.01.2023. Explanation was called. The officer submitted her explanation dated 25.01.2023 which clearly shows that the officer does not have proper control over the officials and also does not have the administrative capacity.'

01(m). Whether amenable to the advice of District Judge and other superior officers.

Annexure-I-C 'The officer is not amenable to the advice of the District Judge. She is insubordiante as well. The officer left the station on dated 27.08.2022, with station leave, for Allahabad and visited, without seeking prior permission, to the Hon'ble Administrative Judge at Allahabad in violation of circular No 112/I.C-27 dated 14.12.1956 and 68/61 dated 14.04.1961 coupled with CL No. 39 of 2006 dated 19.09.2006 which contain that no judicial officer shall meet any of the Hon'ble Judges of the court without obtaining prior permission as per guidelines. In this regard, vide D.O 26 of 2022 dated 20.10.2022, the explanation was called for. In response to, the officer submitted her explanation which got found insufficient.'

2. Overall assessment of the merit of the officer (outstanding, very good, good, average, poor)

Average.

4. Other remarks, if any.

'The conduct of the officer is not up to the mark and she violated government conduct rules 1956 and circular number 112/1.C-27 dated 14. 12. 1956 and 68/61 dated 14.04.1961 coupled with CL number 39 of 2006 dated 19.09.2006 of the Hon'ble Court.'

4. उक्त प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरुद्ध प्रस्तरवार विनम्र निवेदन निम्नवत है:-

Column**Remark recorded by L.d. DJ, Auriaya**

01(f)(iii) Application of law.

Annexure I-A- 'She has no applied judicial mind, stance crime no. 29/2022 u/s 377,506 IPC, PS Ajitmal, District Auraiya case trailed by Magistrate judicial officer commit to session D.O.7 of 2022 dated 27.06.2022.'

उपरोक्त प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में विनम्र निवेदन निम्नवत है-

1. यह कि उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि में उल्लिखित Annexure I-A (संलग्नक-2) तत्कालीन आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया, श्री अनिल कुमार वर्मा, द्वारा मुझे दिया गया अर्धशासकीय पत्र सं०- 7/2022 दिनांक- 27.06.2022 (संलग्नक-3) का उल्लेख किया गया है। जिसके आधार पर उक्त Annexure I-A में यह प्रविष्टि दी गयी है कि 'She has no applied judicial mind, stance crime no. 29/2022 u/s 377, 506 IPC, PS Ajitmal, District Auraiya case trailed by Magistrate judicial officer commit to session D.O.7 of 2022 dated 27.06.2022.'
2. यह कि उक्त अर्धशासकीय पत्र सं० - 7/2022 दिनांक- 27.06.2022 द्वारा उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया ने मेरे द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया के पद पर कार्य करते हुए मुकदमा न०- 29/2022 अन्तर्गत धारा-377,506 IPC, थाना अजीतमल, जिला औरैया की पत्रावली को सत्र सुपुर्द किये जाने के कारण न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना पत्रावली सत्र सुपुर्द करने का कथन करते हुए मेरा स्पष्टीकरण मांगा गया था।
3. यह कि उक्त अर्धशासकीय पत्र सं० - 7/2022 दिनांक- 27.06.2022 के अनुपालन में मैंने अपना स्पष्टीकरण दिनांक- 28.07.2022 (संलग्नक-4) उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया को प्रेषित किया था। जिसमें मैंने स्पष्ट किया था कि उक्त अपराध सं०- 29/2022 अन्तर्गत धारा-377,506 IPC की पत्रावली त्रुटिवश सत्र सुपुर्द कर दी गयी तथा जानबूझकर कोई त्रुटि नहीं की गयी जिसके लिए मैंने सदभावनापूर्वक आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया से क्षमा याचना करते हुए भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न करने एवं अपने कार्य के प्रति अधिक सतर्कता बरतने का आश्वासन भी दिया था।
4. यह कि उक्त त्रुटि मेरे तत्कालीन न्यायालय में लंबित अत्याधिक पत्रावलियों व कार्य अधिकता के कारण तथा मेरे नवीन अफसर होने के कारण भी कारित हुयी थी।
5. यह कि मेरे उक्त स्पष्टीकरण के पश्चात उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया ने कोई प्रतिकूल आदेश अथवा टिप्पणी नहीं किया था, जिससे स्पष्ट है कि मेरे उक्त स्पष्टीकरण को उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया महोदय ने पुरी तरह से संतोषजनक माना था।
6. यह कि मेरा उक्त सत्र सुपुर्दगी का आदेश न्यायिक आदेश था जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण में न्यायिक आदेश पारित किया जा सकता था किन्तु मेरे न्यायिक आदेश के संबन्ध में उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया ने कोई न्यायिक आदेश पारित न कर विद्वेषपूर्ण भावना से तथा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मेरे वार्षिक प्रविष्टि में प्रतिकूल प्रविष्टि देने के उद्देश्य से ही, पूर्व योजना के अनुसार उक्त प्रशासनिक अर्धशासकीय पत्र सं० - 7/2022 दिनांक- 27.06.2022 जारी किया तथा मेरे द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण देने के बाद भी विद्वेषपूर्ण व अनुचित तरीके से उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया द्वारा उसे मेरे गोपनीय प्रविष्टि में प्रतिकूल प्रविष्टि के रूप में अंकित किया गया।

7. यह कि मेरे उक्त स्पष्टीकरण के पश्चात मेरे द्वारा न्यायिक मस्तिष्क प्रयोग न करने के संबन्ध में उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया द्वारा न तो मेरे किसी आदेश के विरुद्ध किसी अपील अथवा पुनरीक्षण के आदेश में कोई टिप्पणी की गयी है एवं न ही किसी मासिक बैठक में कोई मौखिक टिप्पणी की गयी है, न ही मासिक बैठक के किसी मिनट में ही कोई टिप्पणी की गयी है।
8. यह कि उक्त वर्ष 2022-2023 में मेरे द्वारा कुल 3635 पुराने वादों के अलावा अन्य अत्याधिक नवीन वादो का निस्तारण किया गया तथा मानक कार्य 717.84 unit के सापेक्ष 2083.86 unit कार्य किया गया किन्तु उक्त किसी भी वाद में निर्णय/आदेश के विरुद्ध किसी भी अपील अथवा पुनरीक्षण में उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय ,औरैया अथवा किसी भी अपीलीय न्यायालय द्वारा मेरे न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग ना किये जाने का कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है। और ना ही ऐसी किसी का उल्लेख आदरणीय जनपद न्यायाधीश, महोदय ,औरैया ने अपनी उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि में किया है।
9. यह कि उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया, श्री अनिल कुमार वर्मा, द्वारा ही मेरे वर्ष 2021-2022 (सनलग्नक 5) गोपनीय प्रविष्टि कॉलम 1(f)(iii) में Application of Law के बारे में निम्नवत प्रविष्टि अंकित किया है-
“ 1(f)(iii) Application of Law- proper” जबकि उस समय प्रार्थी का न्यायिक कार्य का अनुभव और भी कम था।
10. यह कि मेरे द्वारा सदैव पक्षकारो को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, पूरी सतर्कता से विधायिका द्वारा बनाये गये विधि, संबन्धित नियम तथा माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओ का उचित प्रयोग करते हुए न्यायिक आदेश पारित किया जाता है। फिर भी किसी भी न्यायिक आदेश में अंजाने में त्रुटि होना स्वभाविक है जिसके आधार पर वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में इस प्रकार का प्रतिकूल प्रविष्टि करना न्यायोचित व समीचीन नहीं है।
11. यह कि आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया द्वारा की गयी उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि विद्वेषपूर्ण अनुचित, अतार्किक व निराधार है।
12. यह कि उपरोक्त कारणो से उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि विलोपित किये जाने योग्य है तथा उसके स्थान पर शब्द **“Proper”** प्रतिस्थापित किया जाना समीचीन है।

Column

Remark recorded by L.d. DJ, Auriaya

01(h). Control over the office and administrative capacity and tact:

Annexure-I-B; ‘The officer does not have control over the office. In this regard, vide D.O.No. 20 of 2023 date 17.01.2023. explanation was called. The officer submitted her explanation dated 25.01.2023 which clearly shows that the officer does not have proper control over the officials and also does not have the administrative capacity.’

उपरोक्त प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में प्रार्थी का विनम्र निवेदन निम्नवत है-

1. यह कि Annexure-I-B (संलग्नक 2) में उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया द्वारा जिस D.O.No. 20 सन् 2023 दिनांकित- 17.01.2023 (संलग्नक 6) का उल्लेख किया गया है, उसका स्पष्टीकरण (संलग्नक 7) प्रार्थी द्वारा निर्धारित समय में जनपद न्यायाधीश, औरैया के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था और यदि आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया प्रार्थी के उस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे तो उसपर कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया होता, परन्तु इसके उपरान्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, द्वारा इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है कि उक्त के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण दिनांक- 25.01.2023 पूरी तरह से संतोषजनक पाया गया इसलिए उक्त के संबंध में अर्धशासकीय पत्र के आधार पर आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया द्वारा दिया गया प्रतिकूल प्रविष्टि अनुचित एवं आधारहीन है।

2. यह कि उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया द्वारा कभी भी इस प्रकार का कोई निर्देश अथवा टिप्पणी किसी भी मासिक बैठक में नहीं दिया गया, ना ही उनके द्वारा अपने वार्षिक निरीक्षण टिप्पणी वर्ष 2022-2023 में इस प्रकार की कोई टिप्पणी की गई।

3. यह कि उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, श्री अनिल कुमार वर्मा, द्वारा ही वर्ष 2022-2023 (संलग्नक 1) गोपनीय प्रविष्टि कॉलम 1(e) control over the files in the matter of में निम्न प्रविष्टि अंकित की गयी है।

1(e) control over the files in the matter of :-

01 (e) (i) (a).	Proper Fixation of cause list:	Yes
01 (e) (i) (b).	Whether sufficient number of cases are fixed by him to keep him engaged during full court hours? :	Yes
01 (e) (ii).	Avoidance of unnecessary Adjournments :	Yes
01 (e) (iii).	Disposal of old cases:	Yes

वार्षिक वर्ष 2022-23 में प्रार्थी द्वारा कुल 3635 पुराने वादों का निस्तारण किया गया है। जिसमें से 5 वर्ष से अधिक पुराने वादों की संख्या 2265 तथा 10 वर्ष पुराने वादों की संख्या 1370 तथा प्रार्थी द्वारा वर्ष 2022-23 एक्शन प्लान को पूर्ण किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त समस्त कार्य प्रार्थी की प्रशासनिक दक्षता एवं कार्यालय पर प्रभावी नियंत्रण को दर्शित करता है जिसको स्वयं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उपरोक्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में सिद्ध किया है।

4. यह कि उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया, श्री अनिल कुमार वर्मा, द्वारा ही मेरे वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021-2022 (संलग्नक 5) में उक्त कॉलम मे निम्नवत प्रविष्टि अंकित किया है- **“01(h)Control over the office and administrative capacity and tact -good”** जबकि उस समय मेरा न्यायिक कार्य व प्रशासनिक अनुभव और भी कम था।

5. यह कि उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया ने अन्य कई अधिकारियों को भी उक्त विषय पर इसी प्रकार का अर्धशासकीय पत्र दिया था किन्तु उनके वार्षिक प्रविष्टि में उक्त कॉलम में इस प्रकार का कोई भी प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं दी गयी जो उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया में मेरे प्रति भेदभावपूर्ण व विद्वेषपूर्ण भावना को प्रदर्शित करता है।

6. यह की वर्ष 2022-2023 (दिनांक- 01.04.2022 से 04.07.2022 तक) के दौरान आदरणीय जनपद न्यायाधीश, औरैया, श्री अनिल कुमार वर्मा, द्वारा प्रार्थी को प्रशासनिक कार्यभार के रूप में **नोडल अधिकारी, कंप्यूटर एवं प्रभारी अधिकारी जांच एवं निरीक्षण** का कार्यभार सौंपा गया जो कि प्रार्थी द्वारा सफलतापूर्वक बिना किसी त्रुटि के संपादित किया गया जो की प्रार्थी की प्रशासनिक क्षमता को दर्शाता है। यदि आदरणीय जनपद न्यायाधीश, औरैया को प्रार्थी की प्रशासनिक क्षमता पर संदेह होता तो उनके द्वारा प्रार्थी को इतने महत्वपूर्ण कार्यालयों का प्रभारी अधिकारी नियुक्त न किया जाता।

7. यह कि उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि पूर्णतः भेदभावपूर्ण अनुचित एवं तथ्यों व अभिलेखों के विरुद्ध एवं आधारहीन विद्वेषपूर्ण है।

8. यह कि उक्त कारणों से उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि विलोपित किये जाने योग्य है तथा उसके स्थान पर **"She has proper and effective control over the office and sufficient administrative capacity and she is tactful"** प्रतिस्थापित किया जाना समीचीन है।

Column

Remark recorded by L.d. DJ, Auriaya

01(m) Whether amenable to the advice of District Judge and other superior officers

Annexure-I-C 'The officer is not amenable to the advice of the District Judge. She is insubordiante as well. The officer left the station on dated 27.08.2022, with station leave, for Allahabad and visited, without seeking prior permission, to the Hon'ble Administrative Judge at Allahabad in violation of circular No 112/I.C-27 dated 14.12.1956 and 68/61 dated 14.04.1961 coupled with CL No. 39 of 2006 dated 19.09.2006 which contain that no judicial officer shall meet any of the Hon'ble Judges of the court without obtaining prior permission as per guidelines. In this regard, vide D.O 26 of 2022 dated 20.10.2022, the explanation was called for. In response to, the officer submitted her explanation which got found insufficient.'

उपरोक्त प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में प्रार्थी का विनम्र निवेदन निम्नवत है-

1. यह कि प्रार्थी आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के प्रत्येक उचित, न्याय-संगत व विधिक सलाह का अनुपालन करती है।

2. यह कि किसी भी वरिष्ठ अधिकारीगण, औरैया द्वारा ऐसी कोई शिकायत नहीं की गयी है।

3. यह कि उक्त तत्कालीन आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया श्री अनिल कुमार वर्मा द्वारा अर्धशासकीय पत्र सं०- 26/2022 (संलग्नक 8) दिनांक- 20.10.2022 में मेरे द्वारा दिनांक- 27.08.2022 को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति, इलाहाबाद प्रस्थान करने हेतु प्राप्त करने के तथ्य को अंकित करते हुए मेरे द्वारा बिना आदरणीय जनपद

न्यायाधीश महोदय, औरैया को सुचित किये हुए तत्कालीन प्रशासनिक न्यायमूर्ति, श्री गौतम चौधरी, सत्र खण्ड, औरैया से मिलने की बात को अंकित करते हुए मेरे द्वारा प्रोटोकॉल को ब्रेक किये जाने व समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत परिपत्रों में दी गयी व्यवस्था का अतिक्रमण किये जाने तथा उक्त कृत कदाचार की श्रेणी में होने का कथन अंकित करते हुए मुझसे स्पष्टीकरण आहूत किया गया था। जिसके अनुपालन में मेरे द्वारा स्पष्टीकरण दिनांक- 09.11.2022 (संलग्नक 9) को उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया को पत्र प्रेषित किया गया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि मेरे उक्त माननीय न्यायमूर्ति, गौतम चौधरी से व्यक्तिगत मुलाकात की तिथि 27.08.2022 को वह सत्र खण्ड, औरैया के प्रशासनिक न्यायमूर्ति नहीं थे बल्कि उस समय सत्र खण्ड, औरैया की प्रशासनिक न्यायमूर्ति, श्री साधना रानी ठाकुर जी थी। जिससे यह स्पष्ट है कि आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया द्वारा उक्त अर्धशासकीय पत्र गलत व असत्य तथ्यों के आधार पर मेरी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करने के उद्देश्य से पूर्वनियोजित तरीके से जानबूझकर जारी किया गया था। मेरे द्वारा अपने उक्त स्पष्टीकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत परिपत्रों का उल्लेख करते हुए उनका पूर्णतः पालन किया जाना स्पष्ट किया गया था तथा किसी भी प्रोटोकॉल अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत परिपत्र में दी गयी व्यवस्था का अतिक्रमण नहीं किये जाने का कथन किया गया था। इसके बाद भी यदि उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना भी किया था। जिसके बाद भी उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया ने अनुचित व अवैधानिक तरीके से माननीय उच्च न्यायालय के उक्त CL No- 48 of 2006 dated 19.09.2006 of the Hon'ble Court का गलत व्याख्या करते हुए उक्त माननीय न्यायमूर्ति, श्री गौतम चौधरी जी कि उस समय औरैया के प्रशासनिक न्यायमूर्ति से माननीय महोदय के पूर्व अनुमति से मेरे व्यक्तिगत मुलाकात के संबंध में दिये गये स्पष्टीकरण को नजरअंदाज करते हुए मेरे व्यवहार के संबंध में अवैधानिक व अनाधिकृत रूप से मात्र मेरे उक्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित किये जाने का आधार बनाने हेतु चेतावनी दी गयी (संलग्नक 10) और उसी को उल्लेखित करते हुए उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित किया गया है जो पूर्णतः अवैधानिक मनमानीपूर्ण व अनुचित है।

4. यह कि उक्त संबंध में कभी भी मासिक बैठक में कोई निर्देश आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया द्वारा नहीं दिया गया और न ही किसी मासिक बैठक के मिनट में ऐसी कोई टिप्पणी की गयी।

5. यह कि आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया द्वारा अपने वार्षिक निरीक्षण टिप्पणी 2022-2023 में भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

6. यह कि उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया श्री अनिल कुमार वर्मा द्वारा ही मेरे वर्ष 2021-2022 (सनलग्नक 5) गोपनीय प्रविष्टि कॉलम 01(m) में 'Whether amenable to the advice of District Judge and other superior officers' के बारे में निम्नवत प्रविष्टि अंकित किया है- “ **01(m) Whether amenable to the advice of District Judge and other superior officers-Yes**” जबकि उस समय प्रार्थी का प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य का अनुभव और भी कम था।

7. यह कि उपरोक्त प्रतिकूल प्रविष्टि पूर्वाग्रह से युक्त, पूर्व नियोजित तरीके से माननीय उच्च न्यायालय के प्रपत्रों का विद्वेषपूर्ण व्याख्या करते हुए अंकित किया गया है।

8. यह कि उपरोक्त कारणों से उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि विलोपित किये जाने योग्य है तथा उसके स्थान पर शब्द “**Yes**” प्रतिस्थापित किया जाना समीचीन है।

Column**Remark recorded by L.d. DJ, Auriaya**

2. Overall assessment of the merit of the officer
(outstanding very good, good, average, poor):

Average.

उपरोक्त प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में प्रार्थी का विनम्र निवेदन निम्नवत है:-

1. यह कि प्रार्थी ने सदैव अपने कर्तव्यों का निर्वाहन ईमानदारी, लगन, कठिन परिश्रम, साहस, निष्पक्षता एवं पक्षपात रहित होकर किया है।
2. यह कि उपरोक्त प्रतिकूल प्रविष्टि विरोधाभाषी, तथ्यों के विरुद्ध, निराधार, पूर्वाग्रह-युक्त, विद्वेष पूर्ण व अनुचित है।
3. यह कि उपरोक्त समस्त प्रतिकूल प्रविष्टिओं के विरुद्ध दिए गए उपरोक्त समस्त तर्कों से यह स्पष्ट है की प्रार्थी की योग्यता के संपूर्ण निर्धारण (ओवरऑल असेसमेंट ऑफ द मेरिट) के बारे में आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया श्री अनिल कुमार वर्मा द्वारा अंकित की गई उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि भी न्याय संगत व उचित नहीं है।
4. यह कि उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, श्री अनिल कुमार वर्मा, द्वारा स्वयं उक्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2022- 23 में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि:-

01(a)	Integrity of the Officer- Whether beyond doubt, doubtful or positively lacking	beyond doubt
01(b)	If he is fair and impartial in dealing with the public and Bar?	Yes
01(c)	If he is cool minded and does not lose temper in court.	Yes
01(d)	His private character is such as to lower him in the estimation of the public and adversely affects the discharge of his official duties?	Yes
01(e)(i)(a)	Proper fixation of cause list:	Yes
01(e)(i)(b)	Whether sufficient number of cases are fixed by him to keep him engaged during full court full court hours?	Yes
01(e)(ii)	Avoidance of unnecessary adjournments:	Yes
01(e)(iii)	Disposal of old cases (Give number and year of old cases decided):	2265 cases disposed of older than 5 years and 1370 cases disposed of older than 10 years. A total of 3635 old cases were disposed of.
01(e)(v)	Whether interim order, injunction being granted, refused or retained for sufficient reasons?	Yes
01(e)(vi)	Are cases remanded on substantial grounds?	Yes
01(f)	Whether Judgment on facts and on law are on the whole sound, well-reasoned and expressed	Yes

	in good language?:	
01(f)(i)	Marshalling of facts;	Proper
01(f)(ii)	Appreciation of evidence;	Proper
01(g)	Whether disposal of work is adequate. (Give percentage and reasons for short disposal, if any)	2083.86 units were achieved over the 717.84 required units. Which is 290.29% of work done.
01(g)(i)	Number of cases decided after actual full contest;	553
01(i)	Relations with members of the Bar(mention incidents, if any):	Cordial
01(j)	Behavior in relation to brother Officers (mention incidents, if any):	Cordial
01(k)	Whether the officer has made regular inspections of his court and offices in his charge and whether such inspections were full and effective?	Yes
01(l)	His punctuality and regularity in sitting on the dais in court during court hours?	Punctual and Regular
01(n)	Behavior towards women(respect and sensitivity exhibited towards them)	Good
3.	State of Health, with remarks, if any?	The health of the officer is good and sound

5. यह कि प्रार्थी की वर्ष 2021-2022 की गोपनीय प्रविष्टि (संलग्नक 5) में आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, श्री अनिल कुमार वर्मा द्वारा स्वयं ही उक्त कॉलम में " **Overall merit of the officer-Good**" प्रवृष्टि अंकित की गई थी तथा उन्हीं के द्वारा वर्ष 2022 2023 में उक्त कॉलम में "Average" प्रवृष्टि अंकित की गई है। जबकि उक्त पूर्व वर्ष 2021-2022 में प्रार्थी का न्यायिक व प्रशासनिक कार्य का अनुभव स्वभाविक रूप से सन् 2022-2023 से कम था जिससे स्पष्ट है कि उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया ने वास्तविकता के विरुद्ध मनमानी व विद्वेषपूर्ण तरीके से प्रार्थी के योग्यता के संपूर्ण निर्धारण के बारे में उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित किया है।

6. यह कि उपरोक्त प्रतिकूल प्रवृष्टि विरोधाभासी तथ्यों के विरुद्ध निराधार, पूर्वाग्रह से युक्त, विद्वेषपूर्ण व अनुचित है।

7. यह कि उपरोक्त कारणों से उक्त प्रतिकूल प्रवृष्टि विलोपित किये जाने योग्य है तथा उसके स्थान पर "**Outstanding**" प्रतिस्थापित किया जाना समीचीन है।

Column

Remark recorded by L.d. DJ, Auriaya

4. Other remarks, if any:

"The conduct of the officer is not up to the mark and she violated government conduct rules 1956 and circular number 112/1.C-27 dated 14. 12. 1956 and 68/61 dated 14.04.1961

coupled with CL number 39 of 2006 dated
19.09.2006 of the Hon'ble Court.'

उपरोक्त प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में प्रार्थी का विनम्र निवेदन निम्नवत है-

1. यह कि उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि उक्त कॉलम 01(m) में दिये गये प्रतिकूल प्रविष्टि के आधार पर ही अंकित किया गया है जो समान प्रतिकूल प्रविष्टि की पुनर्वृति है।
2. यह कि उक्त संबंध के कॉलम 01(m) की प्रतिकूल प्रविष्टि के विलोपित करने के संबंध में विनम्र निवेदन किया गया है कि जो समान आधार पर अंकित किया गया है।
3. यह कि उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि पूर्णतः अनुचित, निराधार, मनमानीपूर्ण व विधि विरुद्ध है।
4. उपरोक्त कारणों से उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि विलोपित किये जाने योग्य है।

आदरणीय महोदय, यह भी सादर निवेदन है कि प्रार्थी अपने समस्त पदीय कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन सदैव ईमानदारी, लगन, निष्पक्षता, पक्षपात रहित, निर्भयता, अनुशासन, सुचिता, साहस, सदभावना पूर्वक व विधिनुसार तथा माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों, आदेशों/परिपत्रों का अनुपालन करते हुए सम्पादित करती थी। जबकि, उक्त आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, द्वारा विधि व माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्रों/आदेशों के विरुद्ध अपनी इच्छानुसार प्रार्थी के न्यायिक कार्यों व अन्य प्रभारधीन कार्यों को नजरअन्दाज करते हुए तथा जानबूझकर विद्वेषपूर्ण आशय से गलत मुल्यांकन करते हुए उक्त समस्त प्रतिकूल प्रविष्टियाँ मनमानी तरीके से प्रार्थी को प्रताड़ित करने के लिए अंकित किया है , जो निम्न घटना क्रमों के संक्षिप्त तथ्यों से भी परिलक्षित होता है:-

1. यह कि मैं दिनांक-21.06.2022 से 12.07.2022 तक माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से पूर्व अनुमति लेकर अपने पति के पास UK (United Kingdom) गयी थी। जब मैं वहाँ से वापस आयी तो उक्त तत्कालीन आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, श्री अनिल कुमार वर्मा ने मुझे अपने विश्राम कक्ष में बुलाया। वहाँ पर उस समय और कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी उपस्थित नहीं था। मैंने विश्राम कक्ष में प्रवेश करते ही हमेशा की भाती सादर करबद्ध प्रणाम किया। आदरणीय महोदय ने मुझे सामने बैठने को कहा। मैं बैठ गयी। तब उन्होंने कहा कि "अरे आपने नया हेयर कट करवा लिया है, अलग लग रही हो। वहाँ तो तुम्हें लोग पहचान ही नहीं पाए होंगे कि तुम वहाँ की नहीं हो, तुम तो UK की ही लग रही हो।" मुस्कराते हुए उन्होंने बोला कि "पति से मिलकर आयी हो तो Glow कर रही हो"। फिर वहाँ (UK में पति के पास की) मुझसे अपने मोबाइल में फोटो दिखाने को कहा। उनका उक्त व्यवहार अत्यंत आपत्तिजनक तरीके की भाव भंगिमा के साथ था। जिससे मैं घबरा गयी थी। मैं आदरणीय महोदय से अपने न्यायालय जाने की अनुमति मांगते हुए वहाँ से अपने न्यायालय चली गयी थी। मैंने उक्त आपत्ति जनक व्यवहार को लंच के समय अपने साथी न्यायिक अधिकारी, सुश्री Priyal Sharma, तत्कालीन CJ(JD)/FTC, औरैया को बताया था।

उक्त घटना के पश्चात मैं उक्त आदरणीय महोदय के Chamber/ विश्राम कक्ष मे अकेले जाना बन्द कर दिया जिससे भी वह मुझसे विद्वेष रखने लगे।

2. यह कि तत्कालीन आदरणीय जिला जज, औरैया द्वारा सन् 2022 की नववर्ष पार्टी का आयोजन सेंशंस हाउस में किया गया था तथा प्रार्थी को आयोजन की तैयारी हेतु निर्देश दिए गए जिनका प्रार्थी द्वारा पूर्णता पालन किया गया। जब प्रार्थी निर्धारित समय पर पार्टी में साथी न्यायिक अधिकारी, सुश्री Priyal Sharma, तत्कालीन CJ(JD)/FTC, औरैया, के साथ सेंशंस हाउस पहुंची, तो जिला जज द्वारा प्रार्थी पर सबके समक्ष अभद्रता पूर्वक टिप्पणी करते हुए कहा गया कि "तैयार होकर खाने आ गई हो, यहा कुर्सियां कौन लगाएगा, तुम्हें 2 घंटे पहले आना चाहिए था।" कुछ समय पश्चात पुनः सेंशंस हाउस में आदरणीय जिला जज, औरैया श्री अनिल कुमार वर्मा की बर्थ-डे-पार्टी आयोजित

की गई। प्रार्थिनी डरी हुई थी अतः वह निर्धारित समय से 2 घंटे पहले ही सीधे कोर्ट से सेशन हाउस पहुंच गई। तत्कालीन आदरणीय जिला जज, श्री अनिल कुमार वर्मा के निर्देश पर प्रार्थी लगातार सबके आने तक सेशन हाउस के गेट पर खड़ी रही। इसके उपरांत पार्टी के मध्य चरण में आदरणीय जिला जज ने शराब के नशे में अपने समकक्ष पुरुष अधिकारियों को डांस करने का निर्देश दिया। वह लोग डांस करने लगे तो आदरणीय जिला जज ने प्रार्थी को पुरुष अधिकारियों के साथ डांस करने का निर्देश दिया, जो प्रार्थी ने नहीं किया जिससे आदरणीय महोदय अत्यंत नाराज हो गये।

इसके पश्चात सेशन हाउस, औरैया में आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री अनिल कुमार वर्मा की पत्नी की बर्थ-डे पार्टी एवं आदरणीय जनपद न्यायाधीश की मैरिज ऐनिवर्सरी पार्टी आयोजित की गई जिसमें जनपद न्यायालय, औरैया के समस्त अधिकारीगण को आमंत्रित किया गया। प्रार्थी को भी निमंत्रण दिया गया किन्तु कुछ समय पश्चात अपमान करने के उद्देश्य से आदरणीय महोदय ने अपने स्टाफ को भेजकर प्रार्थी से निमंत्रण वापस ले लिया।

3. यह कि बिना किसी कारण से, अनुचित तरीके से, मेरा मनोबल तोड़ने व हतोत्साहित करने के लिए उक्त आदरणीय महोदय, न्यायिक अधिकारियों के मासिक बैठक व अन्य मीटिंगों में तेज तेज आवाज में डाटते थे तथा समय समय पर प्रताड़ित करने के उद्देश्य से अर्धशासकीय पत्र निर्गत करते थे जो मानसिक रूप से अत्यंत पीड़ाजनक रहता था।

4. यह कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र **D.O. No. C-148/CF (B) 2022 Dated: Allahabad : March 26, 2022** (संलग्नक 11) में जारी दिशा-निर्देशों के पृष्ठ संख्या 6 के बिन्दु सं०-(c) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि **“The disposal of action plan cases be taken into consideration at the time of recording of annual confidential report of the judicial officers.”** प्रार्थी द्वारा वर्ष 2022-2023 का एक्शन प्लान को पूर्ण किया गया(संलग्नक 12), परन्तु आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, औरैया द्वारा प्रार्थी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि दर्ज करते समय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी उक्त परिपत्र का अनदेखा किया है।

5. यह कि उपरोक्त कारणों से उक्त समस्त प्रतिकूल प्रविष्टियाँ विलोपित (Expunged) किया जाना, योग्यता के सम्पूर्ण के निर्धारण को उच्चकृत किया जाना तथा न्यायिक अधिकारी द्वारा ईमानदारी, निष्पक्षता, निर्भयता व सत्यनिष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने हेतु इस प्रकार की प्रताड़नाओं से संरक्षण प्रदान किया जाना न्यायोचित व समीचीन है।

प्रार्थना

अतः आदरणीय महोदय से अत्यंत विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी के वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2022-2023 में कॉलम न० 01(f)(iii), 01(h), 01(m), 2, 4 में अंकित किये गये समस्त प्रतिकूल प्रविष्टियों को विलोपित करके, उसके स्थान पर उचित प्रविष्टियां अंकित करने तथा योग्यता के सम्पूर्ण निर्धारण को उच्चकृत करने हेतु प्रत्यावेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत करने की महती कृपा करें।

जिसके लिए प्रार्थी सदैव करबद्ध आभारी रहेगी।

दिनांक-

भवदीया,

अपर सिविल जज (जू.डि.)-1,

गोरखपुर

[तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट,

औरैया]